न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–42 सन् 2019

महेश भगत.....वादी

बनाम

बेबी देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 12.05.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 04 श्रवण कुमार की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 16.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 04 का आवेदन में कथन है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद दाखिल कर न्यायालय से 1/4 हिस्सा सिडियुल नं0 01 वादपत्र की संपत्ति में से बांटकर कमिश्नर के माध्यम से वादी का कब्जा दिलवान हेतु दाखिल किया है। वादी ने अपने वादपत्र के कंडिका–6, 7, 8 वो 12 में कहा है कि वादी वो प्रतिवादी तकरारी जमीन में बने मकान में निवास करते चले आ रहे हैं। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि तकरारी जमीन सिडियुल नं0 01 वादपत्र में स्थित पुराने आवासीय मकान में सुविधा के अनुसार वादी वो प्रतिवादी अपने–अपने परिवार के साथ निवास करते चले आ रहे हैं। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष कर रहे हैं। वादी वाद के दौरान तकरारी संपत्ति सिडियुल नं0 01 वादपत्र में बने आवासीय मकान को बिना बंटवारा किए हुए तोड़कर नया निर्माण करने एवं प्रतिवादी को बेदखल करने पर उतारू हुए तथा प्रतिवादी एवं उसके भाई ने वादी को गैर कानूनी वो नाजायज हड़कत करने से रोका तो वादी ने प्रतिवादी

को मारपीट कर जख्मी कर दिए जिस पर वादी के खिलाफ दिघवारा थाना कांड सं0–110/2020 दर्ज हुआ जिसमें वादी जमानत पर है। पुनः दिनांक 31.01.2022 को वादी ने अपने नापाक इरादा को सफलीभूत करने को गलत उद्देश्य से तकरारी जायदाद सिडियुल नं0 01 वादपत्र में बने पुराने मकान को ताजबरदस्ती, नाजायज वो गैर कानूनी तरीके से तोड़कर नया निर्माण करने वो प्रतिवादी को बेदखल करना जब शुरू किए तो प्रतिवादी वो उसके परिवार वादी के नाजायज हड़कत का विरोध किया जिसपर वादी वो उसके परिवार ने प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के परिवार पर जानलेवा हमला कर प्रतिवादी के भाई को बुरी तरह जख्मी कर दिए, जिसपर दिघवारा थाना कांड सं0–34/2022 वादी वो उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज हुआ है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी संख्या बल में ज्यादा होने के कारण अपनी दबंगता वो उदंडता के बल पर तकरारी संपत्ति पर बने पुराने मकान से बेदखल कर नया निर्माण करना चाहते हैं। वादी को कोई अधिकार तकरारी संपत्ति सिडियुल नं0 01 वादपत्र में बने पुराने मकान से प्रतिवादी को बेदखल वो नया निर्माण करने का नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में है। अगर इंतनाई के आदेश के द्वारा वादी को नाजायज वो गैर कानूनी हड़कत से रोका नहीं गया तो कभी भी वादी, प्रतिवादी वो उसके परिवार के साथ अप्रिय घटना कारित कर प्रतिवादी को तकरारी जायदाद से बेदखल कर वो पूरे मकान को तोड़कर नया निर्माण कार्य कर सकते हैं, जिससे प्रतिवादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। न्यायहित में वाद के दौरान वादी को तकरारी जमीन पर स्थित पुराने आवासीय मकान को तोडने वो बिना बंटवारा हुए नया निर्माण करने से रोकना कानूनन आवश्यक है। प्रतिवादी का बयान तहरीरी इंतनाई आवेदन का अभिन्न अंश है। अतः निवेदन है कि वादी के खिलाफ इंतनाई आदेश

पारित कर वादी को तकरारी संपत्ति सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश पर कायम पुराने संरचना को तोड़ने वो नया निर्माण करने तथा प्रतिवादी को बेदखल करने से वर्जित कर दिया जाए।

वादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 30.03.2022 को दाखिल किया गया जिसमें वादी का कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा इंतनाई का आवेदन जो न्यायालय में दाखिल किया गया है वह बिल्कुल गलत तथ्यों के साथ दाखिल किया गया है एवं इंतनाई का आवेदन प्रतिवादी को दाखिल करने का कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए केवल वादी को परेशान करने के नियत से एवं वाद को लंबित करने के नियत से यह आवेदन प्रतिवादी की ओर से दाखिल किया गया है। अतः यह आवेदन खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0 04 के आवेदन के कंडिका–1 की सारी बातें सही है और इस कंडिका से वादी को इंकार नहीं है। असल हाल यह है कि यह वाद वादी के द्वारा इस न्यायालय में लाया गया, क्योंकि वादी बहुत ही कमजोर, निर्बल एवं असहाय व्यक्ति हैं जो प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को तंग वो परेशान करने की नियत से वाद विवाद और झगड़ा तकरार करने पर अमादा हो जाते हैं, जिससे परेशान होकर वादी के द्वारा यह वाद लाया गया है। विवादित एराजी शिव भगत की एराजी है जो कि खतियान में भी दर्ज है। इस एराजी पर शिव भगत क वारिसान काबिज दाखिल रहते चले आते हैं। वादी वो प्रतिवादी शिव भगत के वारिसान हैं और शिव भगत के वारिसान वादी वो प्रतिवादी अपनी निवास हेतु अलग मकान का निर्माण कर अलग–अलग निवास करते हैं। इसलिए प्रतिवादी का यह कहना बिल्कुल गलत है कि वादी पुरान अवासीय खपरफोस मकान को तोड़कर नया मकान का निर्माण करना चाहते हैं। वादी के द्वारा यह वाद न्यायालय में जब लाया गया तो प्रतिवादी बहुत ही वादी को परेशान किए करते आये। वादी पर दबाव बनाने के लिए दिघवारा थाना कांड

सं0–110/2020 वो 34/2022 झूठा कहानो बनाकर झूठा वाद दाखिल किया है ताकि प्रतिवादी के दबाव में आकर वादी अपना वाद 42/2019 वापस ले ले। इसलिए प्रतिवादी के द्वारा इंतनाई आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है जो बिल्कुल झूठा वो मनगढ़ंत है। प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और इंतनाई नहीं होने से प्रतिवादी को किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा। इंतनाई होने से वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रतिवादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का इंतनाई आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादी महेश भगत के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर परिशिष्ट–1 वादपत्र की विवादित भूमि के 1/4 हिस्सा की डिकी हेतु दाखिल किया है। अभिलख के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही पूर्वज रामवृक्ष भगत के वंश से संबंध रखते हैं। महेश भगत वादी रामवृक्ष भगत के पुत्र हैं और प्रतिवादीगण रामवृक्ष भगत के पुत्र गणेश भगत के वारिसान है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी एवं प्रतिवादोगण सभी का समान हित है। वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष शिव भगत थे जिनके तीन लड़के रामकृत भगत, रामपृत भगत वो रामवृक्ष भगत थे और आपसी बंटवारा के तहत सभी लोग दाखिल काबिज में बंटवारा के पश्चात् प्राप्त किए। वादपत्र के परिशिष्ट सं0 01 में दर्ज जमीन जिसमें वादी वो प्रतिवादीगण का हिस्सा है और सुविधा के मुताबिक मकान बनाकर पूर्व से ही रहत चले आ रहे हैं। उपर्युक्त परिस्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों का ही प्रथत दृष्टया मामला विवादित संपत्ति के संबंध में विद्यमान है। सुविधा

का संतुलन भी वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में है। विवादित मकान को तोड़ने से उभय पक्ष को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखें।

वाद दिनांक 09.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।